2019 का विधेयक संख्यांक 128

डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

डीएनए विनियामक बोर्ड

3. डीएनए विनियामक बोर्ड की स्थापना ।
4 बोर्ड की संचरना ।
5. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।
6. बोर्ड की बैठकें ।
7. कतिपय मामलों में सदस्य का बैठक में भाग न लेना ।
8. बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाना, त्यागपत्र और रिक्तियों का भरा जाना ।
9. रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्रवाइयों का अविधिमान्य न होना ।
10. बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
11. बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।
12. बोर्ड के कृत्य ।

अध्याय 3

डीएनए प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन

13. बिना प्रत्यायन के डीएनए परीक्षण, आदि का प्रतिषेध ।
14. प्रत्यायन की मंजूरी या उसका नवीकरण ।
15. प्रत्यायन को निलंबित या वापस लेने की शक्ति ।
16. प्रत्यायन की नामंजूरी, निलंबन या उसके वापस लिए जाने के विरुद्ध अपील ।

अध्याय 4

डीएनए प्रयोगशाला की बाध्यताएं

17. डीएनए प्रयोगशाला की बाध्यताएं ।
18. डीएनए प्रयोगशाला के प्रभारी, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति ।
19. डीएनए प्रयोगशाला के प्रभारी व्यक्ति के उत्तरदायित्व ।
20. डीएनए प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले उपाय ।
21. किसी गिरफ्तार व्यक्ति से लिए जाने वाले शारीरिक पदार्थ लेने के लिए सहमति ।

खंड

22. स्वेच्छा से दिए गए शारीरिक पदार्थ ।
23. डीएनए परीक्षण के लिए नमूनों के संग्रहण के स्रोत और रीति।
24. पुनः परीक्षा के लिए शारीरिक पदार्थों का लिया जाना ।

अध्याय 5

डीएनए डाटा बैंक

25. डीएनए डाटा बैंक की स्थापना।
26. डीएनए डाटा बैंक की सूचियों का अनुरक्षण।
27. डीएनए डाटा बैंक निदेशक ।
28. राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंकों के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।
29. डीएनए प्रोफाइल की तुलना और संसूचना।
30. डीएनए प्रोफाइल का विदेशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से साझा करना।
31. अभिलेखों का रखा जाना और हटाया जाना।

अध्याय 6

सूचना का संरक्षण

32. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता ।
33. डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूनों और अभिलेखों आदि का व्यक्तियों की पहचान को सुकर बनाने के लिए प्रयोग।
34. कतिपय मामलों में सूचना तक पहुंच ।
35. प्रचालन, अनुरक्षण और प्रशिक्षण के लिए सूचना तक पहुंच।
36. एक बारगी की बोर्ड खोज के लिए डीएनए डाटा बैंक में सूचना तक पहुंच।
37. अपराध घटनास्थल अनुक्रमणिका में सूचना तक पहुंच पर निर्बंधन।
38. डीएनए डाटा बैंक में सूचना पर पहुंच पर प्रतिषेध ।

अध्याय 7

वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिपोर्ट

39. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान।
40. डीएनए विनियामक बोर्ड निधि ।
41. बजट ।
42. वार्षिक रिपोर्ट।
43. बोर्ड के लेखे और संपरीक्षा।
44. वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

45. डीएनए डाटा बैंक में की सूचना के अप्राधिकृत प्रकटन के लिए शास्ति।
46. बिना प्राधिकार के डीएनए डाटा बैंक से सूचना अभिप्राप्त करने के लिए शास्तियां।
47. बिना प्राधिकार के डीएनए नमूने या परिणाम का उपयोग करने के लिए शास्ति ।
48. डीएनए डाटा बैंक की सूचना तक विधिविरुद्ध पहुंच के लिए शास्तियां।
49. जैविक साक्ष्य को नष्ट करना, परिवर्तित करना, संदूषित करना या बिगाड़ने के लिए शास्ति ।

खंड

50. ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड उपबंधित नहीं है ।

51. कंपनियों या संस्थाओं द्वारा अपराध ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

52. अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

53. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

54. केंद्रीय सरकार की बोर्ड को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

55. केंद्रीय सरकार के निदेश देने की शक्ति ।

56. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति ।

57. न्यायालयों की अधिकारिता का न होना ।

58. नियम बनाने की शक्ति ।

59. विनियम बनाने की शक्ति ।

60. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

61. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

अनुसूची

2019 का विधेयक संख्यांक 128

[दि डीएनए टेक्नोलाजी (यूज़ एंड एप्लीकेशन) रेगुलेशन बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019

कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों की, जिसके अंतर्गत पीड़ित, अपराधी, संदिग्ध, विचारणाधीन, लापता व्यक्ति और अज्ञात मृत व्यक्ति भी हैं, पहचान स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए डिआक्सीराइबो न्यूक्लीक एसिड (डीएनए) प्रौद्योगिकी के प्रयोग और लागू होने के विनियमन का उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन अधिनियम, 2019 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "बोर्ड" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित डीएनए विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ii) "शारीरिक पदार्थ" से किसी व्यक्ति के, चाहे जीवित हो या मृत, शरीर का या शरीर से, अज्ञात मानव अवशेषों से निकाला गया कोई जैविक पदार्थ अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (क) और खंड (ग) में यथा परिभाषित अंतरंग शारीरिक पदार्थ और गैर अंतरंग शारीरिक पदार्थ भी हैं ;

(iii) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(iv) "अपराध दृश्य इंडेक्स" से--

(क) ऐसे किसी स्थान पर, जहां कोई अपराध किया गया था या जहां किसी अपराध के किए जाने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है ; या

(ख) किसी अपराध के पीड़ित के या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से किसी अपराध का पीड़ित होने का संदेह है, शरीर पर या शरीर के भीतर ;

(ग) ऐसे समय पर, जब कोई अपराध किया गया था या जब किसी अपराध के किए जाने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है, पीड़त द्वारा पहनी गई या ले जाने वाली किसी चीज पर ; या

(घ) किसी व्यक्ति के शरीर पर या उसके भीतर या किसी चीज पर या किसी अपराध के किए जाने से सहबद्ध किसी स्थान पर,

पाए जाने वाले डीएनए नमूनों से व्युत्पन्न किसी डीएनए डाटा बैंक में डीएनए प्रोफाइलों की प्रविष्टियों की सूची अभिप्रेत है ;

(v) "निदेशक" से राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक या किसी प्रादेशिक डीएनए डाटा बैंक का धारा 27 के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है ;

(vi) "डीएनए डाटा बैंक" से धारा 25 के अधीन स्थापित डीएनए डाटा बैंक अभिप्रेत है ;

(vii) "डीएनए प्रयोगशाला" से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यष्टि या संगठन द्वारा, जिन्हें डीएनए परीक्षण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रत्यायन प्रदान किया गया हो, स्थापित कोई प्रयोगशाला या सुविधा अभिप्रेत है ;

(viii) "डीएनएन प्रोफाइल" से अनुसची में सूचीबद्ध किसी मामले की बाबत मानव पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए नमूने के विश्लेषण का परिणाम अभिप्रेत है ;

(ix) "डीएनए नमूना" से डीएनए परीक्षण करने के लिए संगृहीत किसी प्रकार के शारीरिक पदार्थ अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत ऐसे शारीरिक पदार्थों

से किसी डीएनए प्रयोगशाला में प्राप्त सामग्री भी है ;

(x) "डीएनए परीक्षण" से डीएनए प्रोफाइल विकसित करने के लिए डीएनए प्रयोगशाला में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(xi) "निधि" से धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की निधि अभिप्रेत है ;

(xii) "ज्ञात नमूना" से किसी व्यक्ति का शारीरिक पदार्थ अभिप्रेत है जिसकी पहचान स्थापित हो जाती है ;

(xiii) "चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, 1956 का 102 जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई भी चिकित्सा अर्हता है और जिसका नाम उक्त अधिनियम के अधीन किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट कर दिया गया है ;

(xiv) "सदस्य" से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी है ;

(xv) "सदस्य-सचिव" से बोर्ड का कोई सदस्य-सचिव अभिप्रेत है ;

(xvi) "लापता व्यक्तियों का इंडेक्स" से—

(क) अज्ञात मानव अवशेषों से ; या

(ख) ऐसे व्यक्तियों की, जो लापता हैं, निजी चीजबस्त से ; या

(ग) लापता व्यक्तियों के नातेदारों के शारीरिक पदार्थों से,

व्युत्पन्न डीएनए प्रोफाइल की, किसी डीएनए डाटा बैंक में प्रविष्टियों की सूची अभिप्रेत है ;

(xvii) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(xviii) "अपराधी इंडेक्स" से किसी डीएनए डाटा बैंक में अपराधियों से लिए गए नमूनों के डीएनए प्रोफाइलों की प्रविष्टियों की सूची अभिप्रेत है ;

(xix) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(xx) "प्राविण्य परीक्षण" से कार्य को मानीटर करने और ऐसे क्षेत्रों की, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, पहचान करने के लिए प्रयुक्त क्वालिटी आश्वासन उपाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है--

(क) आंतरिक परीक्षण, जो डीएनए प्रयोगशाला द्वारा प्रकल्पित और प्रशासित होता है ; और

(ख) बाह्य परीक्षण, जो प्रकट या अविवेचित हो सकेगा और जो किसी बाह्य अभिकरण द्वारा प्रकल्पित और प्रशासित होता है ;

(xxi) "क्वालिटी आश्वासन" में ऐसी व्यवस्थित कार्रवाई सम्मिलित है, जो यह प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि उत्पाद या सेवा, क्वालिटी के विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करते हैं ;

(xxii) "क्वालिटी निर्देशिका" से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है, जो मानकों, क्वालिटी नियंत्रण और क्वालिटी आश्वासन से संम्बधित किसी संगठन

की क्वालिटी प्रक्रियाएं, क्वालिटी प्रणालियां और पद्धतियां विनिर्दिष्ट करता है ;

(xxiii) "क्वालिटी प्रणाली" से क्वालिटी प्रबंध के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना, उत्तरदायित्व, कार्यप्रणाली, प्रक्रिया और साधन अभिप्रेत हैं ;

(xxiv) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(xxv) "संदिग्ध का इंडेक्स" या "विचारणाधीन कैदी का इंडेक्स" से, यथास्थिति, संदिग्ध व्यक्तियों या विचारणाधीन कैदियों से विधिपूर्वक लिए गए डीएनए नमूनों से व्युत्पन्न बैंक डीएनए प्रोफाइलों की किसी डीएनए डाटा प्रविष्टियों की सूची अभिप्रेत है ;

(xxvi) "अज्ञात मृत व्यक्तियों का इंडेक्स" से ऐसे किसी मृत व्यक्ति के अवशेषों से, जिसकी पहचान ज्ञात नहीं है, लिए गए डीएनए नमूनों से व्युत्पन्न डीएनए प्रोफाइलों के किसी डीएनए डाटा बैंक में रखी गई प्रविष्टियों की सूची अभिप्रेत है ;

(xxvii) "विधिमान्यकरण प्रक्रिया" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा मामले का विश्लेषण करने की कार्यप्रणाली का, उसकी दक्षता और विश्वसनीयता का अवधारण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है और इसके अन्तर्गत—

(क) मामले के नमूनों पर उपयोग के लिए किसी नवीन डीएनए कार्यपद्धति की विकासात्मक प्रक्रिया भी है, जो परीक्षण संबंधी आकड़ों का अर्जन और शर्तों और परिसीमाओं का अवधारण है ; और

(ख) यह प्रदर्शित करने के लिए कि प्रयोगशाला में यथा विनिर्दिष्ट स्थापित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, आन्तरिक प्रक्रिया भी है, जो डीएनए प्रयोगशाला के भीतर परीक्षण संबंधी आकड़ों का संचयन है ।

(2) उन सभी शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम या उन संहिताओं में क्रमशः हैं ।

1860 का 45
1872 का 1
1974 का 2

अध्याय 2

डीएनए विनियामक बोर्ड

डीएनए विनियामक बोर्ड की स्थापना ।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा डीएनए विनियामक बोर्ड नाम से एक बोर्ड की स्थापना कर सकेगी ।

(2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम वाला एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर सम्पत्ति दोनों का अर्जन करने, उसे धारण करने और उसका व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) बोर्ड का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी ऐसे स्थान पर होगा, जो

केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(4) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन ऐसे अन्य स्थानों पर, जो वह आवश्यक समझे, प्रादेशिक कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

बोर्ड की संचरना ।

4. बोर्ड में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) सचिव, भारत सरकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जो अध्यक्ष होगा - पदेन ;

(ख) जैव विज्ञान के क्षेत्र से कोई विख्यात व्यक्ति, जिसका उस क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अन्यून का अनुभव हो, जो उपाध्यक्ष होगा ;

(ग) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कोई सदस्य, जो उसके अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित होगा- पदेन ;

(घ) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का महानिदेशक या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक या संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी के उनके नामनिर्देशिती, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित होंगे- पदेन ;

(ङ) किसी राज्य का पुलिस महानिदेशक, जो राज्यों में से वर्णानुक्रम से प्रत्येक तीन वर्ष में चक्रानुक्रम से केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित होगा- पदेन ;

(च) डीएनए अंगुली छाप और निदान केन्द्र, हैदराबाद का निदेशक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित होगा - पदेन ;

(छ), प्रयोगशालाओं के परीक्षण और अंशशोधन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नई दिल्ली का निदेशक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित होगा - पदेन ;

(ज) केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला का निदेशक, जो प्रत्येक तीन वर्ष में चक्रानुक्रम से केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित होगा - पदेन ;

(झ) भारत सरकार में विधि और न्याय मंत्रालय का संयुक्त सचिव की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित होगा - पदेन ;

(ञ) भारत सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संयुक्त सचिव की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित होगा - पदेन ;

(ट) जैव विज्ञान के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त ऐसे व्यक्तियों में से एक विशेषज्ञ, जिसके पास उस क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अन्यून का अनुभव हो ; और

(ठ) भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी या समतुल्य, जिसके पास जैव विज्ञान में ज्ञान और अनुभव हो, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित होगा, पदेन, जो सदस्य-सचिव होगा ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

5. (1) अध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव रहने तक बोर्ड में पद धारण ।

(2) धारा 4 के खंड (ख) के अधीन नियुक्त उपाध्यक्ष और खंड (ट) के अधीन नियुक्त सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक,

इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुन: नामनिर्देशन का पात्र होगा ।

(3) धारा 4 के खंड (ख) के अधीन नियुक्त उपाध्यक्ष और खंड (ट) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा, जो विहित किए जाएं ।

(4) अध्यक्ष और अन्य पदेन सदस्य, ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार हो सकेंगे, जो विहित किए जाएं ।

बोर्ड की बैठकें ।

6. (1) बोर्ड, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और इस धारा के अध्यधीन अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से वह बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य, जिसकी संगणना बोर्ड में नियुक्ति की तारीख से की जाएगी, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा :

परंतु सदस्यों की नियुक्ति की समान तारीख होने की दशा में आयु में ज्येष्ठ सदस्य को अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ समझा जाएगा ।

(3) बोर्ड की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा ।

(4) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यक्ष को बोर्ड के कार्यों के साधारण पर्यवेक्षण और निदेशन की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा, जो उसे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं ।

(5) बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चयों को सदस्य-सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

कतिपय मामलों में सदस्य का बैठक में भाग न लेना ।

7. ऐसा कोई भी सदस्य, जिसका बोर्ड की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है, चाहे वह धनीय हो या उससे अन्यथा, वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन बोर्ड की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा सदस्य उस विषय की बाबत बोर्ड के किसी विचार विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाना, त्यागपत्र और रिक्तियों का भरा जाना ।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष या किसी ऐसे अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(ग) जो शीरीरिक या मानसिक रुप से सदस्य के रुप में कार्य करने के अयोग्य है ;

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे

सदस्य के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ड.) जिसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा :

परंतु अध्यक्ष या किसी सदस्य को खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त की गई जांच, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है, के पश्चात् किए गए आदेश द्वारा ही हटाया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(2) यदि अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से किसी सदस्य के पद पर कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी और ऐसा सदस्य, ऐसा सदस्य, ऐसे सदस्य जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

(3) कोई भी सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कम से कम तीस दिन की सूचना देकर बोर्ड से अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परंतु कोई सदस्य ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के समाप्त होने तक या किसी व्यक्ति की उसके स्थान पर सम्यक् नियुक्ति होने तक या उसके पद की अवधि की समाप्ति तक, इनमें जो भी पहले हो, पद को तब तक धारण करता रहेगा, जब तक कि उसे अपना पद केन्द्रीय सरकार द्वारा इससे पहले त्यागने के लिए अनुज्ञात न कर दिया गया हो ।

रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्रवाइयों का अविधिमान्य न होना ।

9. बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नही करती है ।

बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन।

10. (1) बोर्ड, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने ऐसे कृत्यों को (विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) जो आवश्यक समझे जाएं, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

11. (1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत नियुक्ति की रीति भी है, ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

बोर्ड के कृत्य ।

12. बोर्ड, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) डीएनए प्रयोगशालाओं और डीएनए डाटा बैंकों से संबंधित सभी मुद्दों पर, जिसके अंतर्गत ऐसी प्रयोगशालाओं और डाटा बैंकों की स्थापना और कार्यकरण के लिए योजना-निर्माण, संगठनात्मक संरचना, आकार, संख्या, स्थान या अवस्थान, मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना, मानक और प्रक्रिया भी है, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत उनके कार्य प्रदर्शन और क्रियाकलापों को मानीटर करने के संबंध में जनशक्ति, अवसंरचना और अन्य संबंधित मुद्दे भी हैं ; डीएनए प्रयोगशालाओं का उन्नयन ; और ऐसे प्रयोजनों के लिए अपेक्षित निधियों पर सिफारिशें करना ;

(ख) प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान करना और ऐसे प्रत्यायन को निलंबित या प्रतिसंगृहीत करना ;

(ग) डीएनए प्रयोगशालाओं और डीएनए डाटा बैंकों का पर्यवेक्षण, जिसके अंतर्गत उनका क्वालिटी नियंत्रण भी है ;

(घ) प्रशिक्षण मापदंडों का विकास करना और जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना, जिसके अंतर्गत डीएनए से संबंधित मामलों से संबंधित पुलिस और अन्वेषक अभिकरण भी हैं ;

(ङ) डीएनए प्रयोगशालाओं और डीएनए डाटा बैंकों के लिए डीएनए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और संपरीक्षित करना ;

(च) डीएनए परीक्षण और बौद्धिक संपदा सहित संबद्ध विषयों में वैज्ञानिक प्रगति की पहचान करना तथा अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों की सिफारिश करना ;

(छ) सिविल और दांडिक कार्यवाहियों में डीएनए प्रोफाइल से संबंधित सूचना भेजने तथा विधि प्रवर्तन तथा अन्य अन्वेषक अभिकरणों द्वारा अपराधों के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया अधिकथित करना ;

(ज) न्याय प्रशासन के लिए डीएनए तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के अधिकतम उपयोग के लिए या ऐसे अन्य सुसंगत प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पद्धतियों की सिफारिश करना ;

(झ) संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसकी विशेषीकृत अभिकरणों द्वारा प्रगणित अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप डीएनए परीक्षण से संबंधित सभी नीतिपरक और मानव अधिकारों के मुद्दों पर डीएनए तकनीकों के उपयोग में क्वालिटी और संगतता सुनिश्चित करने के लिए डीएनए नमूने के संग्रहण और विशेषण संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियां अंगीकृत करना और उसका प्रसार करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दे भी हैं—

(i) नागरिकों के अधिकार और उनकी निजता ;

(ii) नागरिक स्वतंत्रताओं संबंधी विवाद्यक ;

(iii) डीएनए परीक्षण प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में नीति परक और अन्य सामाजिक विवक्षाओं वाले विवाद्यक ; और

(iv) डीएनए परीक्षण में वृत्तिक सदाचार ;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन विषयों पर सलाह देना, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं ;

(ट) डीएनए नमूनों और उनके विश्लेषण तक पहुंच या उसके उपयोग से संबंधित उपबंध निजता संरक्षण के लागू होने के लिए सिफारिश करना और निम्नलिखित सुनिश्चित करना—

(i) ऐसे संरक्षण का क्रियान्वयन तथा पर्याप्तता ;

(ii) डीएनए सूचना का समुचित उपयोग और उसका प्रसार ;

(iii) डीएनए सूचना की शुद्धता, सुरक्षा और गोपनीयता ;

(iv) अप्रचलित, निकाली गई या अशुद्ध डीएनए सूचना का समय से हटाया जाना तथा उसको नष्ट करना ; और

(v) ऐसे अन्य उपाय जो निजता की संरक्षा के लिए आवश्यक हों ;

(ठ) डीएनए प्रौद्योगिकी पर विचारों और सूचना के आदान-प्रदान को सुकर बनाना ;

(ड) डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग और लागू होने पर, जनता तथा अन्य पणधारियों में, जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी, अभियोजक तथा न्यायिक अधिकारी भी हैं, जागरूकता उत्पन्न करना ;

(ढ) डीएनए परीक्षण के संबंध में देश के भीतर और किसी विदेशी राज्य, अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्था के साथ विभिन्न अन्वेषण अभिकरणों के बीच दांडिक अन्वेषण में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सहायता करना ;

(ण) अनुसूची के अधीन किसी विषय की बाबत किए जाने के लिए अपेक्षित किन्हीं उपांतरणों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(त) ज्ञात नमूने सहित शारीरिक पदार्थों के भंडारण तथा उनके नष्ट किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना ;

(थ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

अध्याय 3

डीएनए प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन

बिना प्रत्यायन के डीएनए परीक्षण, आदि का प्रतिषेध।

13. (1) कोई भी प्रयोगशाला बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त किए बिना डाटा सृजित करने के लिए और उससे संबंधित विश्लेषण करने के लिए डीएनए परीक्षण, विश्लेषण या उससे संबंधित कोई अन्य प्रक्रिया नहीं करेगी :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को कार्य कर रही कोई प्रयोगशाला ऐसे प्रारंभ से साठ दिन की अवधि के लिए डीएनए परीक्षण या उससे संबंधित कोई भी अन्य प्रक्रिया कर सकेगी और प्रत्यायन अभिप्राप्त करने के लिए उपधारा (2) के अनुसार बोर्ड को आवेदन कर सकेगी :

परंतु यह और कि ऐसी प्रयोगशाला, आवेदन करने के पश्चात् डीएनए परीक्षण या उससे संबंधित कोई अन्य प्रक्रिया तब तक करती रह सकेगी, जब तक उसके आवेदन को बोर्ड द्वारा विनिश्चित न कर दिया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायन चाहने वाली कोई प्रयोगशाला, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस और दस्तावेजों के साथ, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट

किए जाएं, बोर्ड को आवेदन करेगी ।

(3) प्रत्यायन चाहने वाली कोई प्रयोगशाला ऐसे आन-साइट निर्धारण अपेक्षाओं, मानकों और ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) बोर्ड को प्रत्यायन के नवीकरण के लिए आवेदन, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रत्यायन के अवसान के कम से कम साठ दिन पहले किया जाएगा ।

प्रत्यायन की मंजूरी या उसका नवीकरण ।

14. (1) बोर्ड, प्रत्यायन या उसके नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर और प्रयोगशाला, उसके अभिलेख और बहियों का निरीक्षण करने के पश्चात् और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रयोगशाला इस अधिनियम के अधीन सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, तो आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो वह ठीक समझे, ऐसी प्रयोगशाला को प्रत्यायन मंजूर कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा :

परंतु बोर्ड द्वारा प्रत्यायन के किसी भी आवेदन को उसके लिए कारण अभिलिखित किए बिना और आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्यायन या प्रत्यायन का नवीकरण दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

प्रत्यायन को निलंबित या वापस लेने की शक्ति ।

15. (1) बोर्ड, किसी डीएनए प्रयोगशाला का मंजूर किया प्रत्यायन वापस ले सकेगा, यदि ऐसी डीएनए प्रयोगशाला—

(क) डीएनए प्रोफाइल या उससे संबंधित कोई अन्य प्रक्रिया करने में असफल होती है ;

(ख) ऐसी किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहती है जिसके अधीन रहते हुए उसे प्रत्यायन मंजूर किया गया है ;

(ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करने में असफल रहती है ; या

(ङ) अपनी प्रयोगशाला या उन लेखा पुस्तकों और किसी सुसंगत दस्तावेज, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा रिपोर्टें भी हैं, को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों, व्यक्तियों या अभिकरणों द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने या देने में असफल रहती है ।

(2) जहां बोर्ड की यह राय है कि डीएनए प्रयोगशाला को मंजूर किए गए प्रत्यायन को वापस लेने में हुआ कोई विलंब लोकहित पर प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव डालने वाला है तो वह ऐसे वापस लिए जाने पर अंतिम विनिश्चय होने तक तुरंत प्रत्यायन को निलंबित कर सकेगा ।

(3) डीएनए प्रयोगशाला को मंजूर किए गए प्रत्यायन के वापस लिए जाने तक कोई आदेश बोर्ड द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी प्रयोगशाला को

सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) डीएनए प्रयोगशाला के प्रत्यायन के प्रतिसंहरण या निलंबन पर प्रयोगशाला, डीएनए नमूनों और डीएनए परीक्षण से संबंधित सभी अभिलेखों को अपनी प्रयोगशाला से ऐसी अन्य डीएनए प्रयोगशाला को सौंप देगी, जो बोर्ड द्वारा निदेश दिया जाए और उस प्रयोगशाला में ऐसे नमूनों या अभिलेख को प्रतिधारित नहीं किया जाएगा ।

प्रत्यायन की नामंजूरी, निलंबन या उसके वापस लिए जाने के विरुद्ध अपील।

16. धारा 14 के अधीन प्रत्यायन या नवीकरण के लिए आवेदन के नामंजूर किए जाने के आदेश से या धारा 15 के अधीन प्रत्यायन के वापस लिए जाने के आदेश से व्यथित कोई डीएनए प्रयोगशाला केन्द्रीय सरकार को या ऐसे किसी प्राधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगी, जिसका, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय, ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

अध्याय 4

डीएनए प्रयोगशाला की बाध्यताएं

डीएनए प्रयोगशाला की बाध्यताएं ।

17. (1) प्रत्येक ऐसी डीएनए प्रयोगशाला जिसे इस अधिनियम के अधीन डीएनए परीक्षण करने या किसी अन्य प्रक्रिया के लिए प्रत्यायन मंजूर किया गया है, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,—

(क) डीएनए नमूने के संग्रहण, भंडारण परीक्षण और विश्लेषण में क्वालिटी आश्वासन के संबंध में ऐसे मानक और प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी ;

(ख) ऐसी प्रलेखीकरण और क्वालिटी प्रणाली की स्थापना करेगी और उसे बनाए रखेगी ;

(ग) ऐसे ब्यौरों को अंतर्विष्ट करने वाले क्वालिटी निर्देशिकाओं को तैयार करेगी और उनका रखरखाव करेगी ;

(घ) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक तथा क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक के साथ उसके द्वारा तैयार किए गए और अनुरक्षित ऐसे डीएनए डाटा को साझा करेगी ।

(2) डीएनए प्रयोगशाला डीएनए परीक्षण के परिणाम की रिपोर्ट इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुरूप देगी ।

डीएनए प्रयोगशाला के प्रभारी, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति ।

18. प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का पालन करने के लिए प्रयोगशाला के प्रभारी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और ऐसे वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद को नियुक्त करेगी, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

डीएनए प्रयोगशाला के प्रभारी व्यक्ति के उत्तरदायित्व ।

19. (1) डीएनए प्रयोगशाला का प्रभारी,—

(क) डीएनए परीक्षण के क्षेत्र में तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अपने कर्मचारियों के कौशल उन्नयन तथा ज्ञान में अभिवृद्धि को सुकर बनाने के लिए ऐसे उपाय करेगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी ऐसी संस्थाओं में ऐसे स्तर

पर और ऐसे अंतरालों पर डीएनए संबद्ध विषयों पर, ऐसे नियमित प्रशिक्षण लेंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ग) प्रयोगशाला और कार्मिकों से संबंधित ऐसे अभिलेख रखेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

डीएनए प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले उपाय ।

20. (1) प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला—

(क) ऐसी अवसंरचना रखेगी ;

(ख) डीएनए नमूनों को संदूषण से बचाने के लिए ऐसी सुरक्षा बनाए रखेगी और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ;

(ग) शारीरिक साक्ष्य की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रलेखीकृत साक्ष्य नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेगी और उसका अनुसरण करेगी ;

(घ) ऐसी विधिमान्यकरण प्रक्रिया तथा लिखित विश्लेषात्मक प्रक्रिया स्थापित करेगी और उसका अनुसरण करेगी ;

(ङ) ऐसे अनुक्रमणिकाएं तैयार करेगी ;

(च) ऐसी पद्धतियों के लिए जिन्हें वह नियोजित करे, ऐसे उपस्कर प्रयोग करेगी ;

(छ) उपकरणों तथा उपस्करों के अंशांकन के लिए ऐसे प्रलेखीकृत कार्यक्रम बनाएगी ;

(ज) ऐसे मानकों सहित वार्षिक क्वालिटी संपरीक्षाएं संचालित करेगी ;

(झ) डीएनए प्रयोगशाला और अपने कार्मिकों की सुरक्षा के लिए ऐसी सुरक्षा प्रणाली संस्थापित करेगी ;

(ञ) डीएनए परीक्षण या उससे संबंधित किसी अन्य प्रक्रिया को करने के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की ऐसी फीस प्रभारित करेगी,

जो इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) डीएनए प्रयोगशाला, डीएनए प्रोफाइल प्राप्त करने और उसे डीएनए डाटा बैंक में जमा करने के पश्चात्,—

(क) जैविक नमूने या शेष सामग्री को, किसी दांडिक मामले में अन्वेषण अधिकारी को इसके परिरक्षण के लिए मामले के निपटारे या न्यायालय के आदेश तक वापस कर देगी ; और

(ख) सभी अन्य मामलों में जैविक नमूने या शेष सामग्री को नष्ट कर देगी और संबंधित व्यक्ति को उसकी संसूचना देगी ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विश्लेषात्मक प्रक्रिया" से संक्रियात्मक एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित सुव्यवस्थित कदम दर कदम प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(ख) "क्वालिटी संपरीक्षा" से क्वालिटी से संबंधित क्रियाकलाप का मूल्यांकन करने, उसकी पुष्टि करने या उसका सत्यापन करने के लिए प्रयोग किया गया निरीक्षण अभिप्रेत है ;

(ग) "अंशांकन" से संक्रियाओं का एक ऐसा सेट अभिप्रेत है जो मापन उपकरण या मापन प्रणाली द्वारा उपदर्शित मूल्यों या सामग्री द्वारा व्यपदिष्ट मूल्यों तथा माप के तत्स्थानी ज्ञात मूल्यों के बीच विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन संबंध स्थापित करता है ।

किसी गिरफ्तार व्यक्ति से लिए जाने वाले शारीरिक पदार्थ लेने के लिए सहमति ।

21. (1) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी अपराध (विनिर्दिष्ट अपराधों से भिन्न) के लिए गिरफ्तार है, कोई शारीरिक पदार्थ तब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक शारीरिक पदार्थ लेने के लिए लिखित में सहमति न दे दी गई हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट अपराधों" से ऐसा कोई अपराध अभिप्रेत है, जो मृत्यु या सात साल के अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है ।

(2) यदि किसी व्यक्ति से शारीरिक पदार्थ लेने के लिए उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित सहमति से इनकार कर दिया जाता है या सहमति अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तो मामले का अन्वेषण करने वाला व्यक्ति अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार व्यक्ति से शारीरिक पदार्थ अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(3) मजिस्ट्रेट, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि शारीरिक पदार्थों से यह पुष्ट या नासाबित हो सकेगा कि क्या इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति अपराध के किए जाने में लिप्त था, तो वह ऐसे व्यक्ति से शारीरिक पदार्थ लेने का आदेश कर सकेगा ।

स्वेच्छा से दिए गए शारीरिक पदार्थ ।

22. (1) उपधारा (2) के अध्यधीन ऐसा कोई व्यक्ति,—

(क) जो उस समय अपराध स्थल पर उपस्थित था, जब वह किया गया था ; या

(ख) जिससे किसी अपराध के अन्वेषण के संबंध में पूछताछ की गई है ; या

(ग) जिसका, आपदा में या अन्यथा उसके लापता या खोए हुए नातेदार के पता-ठिकाना मामूल करना आशयित है,

डीएनए परीक्षण के लिए उससे शारीरिक पदार्थ लेने के लिए लिखित में स्वेच्छा से सहमति दे सकेगा ।

(2) यदि स्वेच्छा से सहमति देने वाला व्यक्ति अट्ठारह वर्ष से कम आयु का है और ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या संरक्षक ने सहमति से इनकार कर दिया है या सहमति अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तो मामले का अन्वेषण करने वाला व्यक्ति अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार व्यक्ति से शारीरिक पदार्थ अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और मजिस्ट्रेट, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति से शारीरिक पदार्थ लेने का युक्तियुक्त कारण है, तो वह ऐसे व्यक्ति से शारीरिक पदार्थ लेने का आदेश कर सकेगा ।

डीएनए परीक्षण के लिए नमूनों के संग्रहण के स्रोत और रीति ।

23. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए डीएनए परीक्षण के लिए नमूने निम्नलिखित स्रोतों से संगृहीत किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) शारीरिक पदार्थ ;

(ख) घटना का दृश्य या अपराध का दृश्य ;

(ग) वस्त्र धारण और अन्य वस्तुएं ; या

(घ) ऐसे अन्य स्रोत जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,-

(क) जीवित व्यक्तियों से अंतरंग शारीरिक पदार्थ एकत्रित किए जाएंगे और अंतरंग न्यायालयिक प्रक्रिया किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी ।

(ख) कोई गैर अंतरंग शारीरिक पदार्थ एकत्रित किए जाएंगे और किसी चिकित्सा व्यवसायी या आणविक जीव विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले वैज्ञानिक या ऐसे अन्य व्यक्ति जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं के पर्यवेक्षण के अधीन डीएनए परीक्षण के लिए नमूनों के संग्रहण हेतु प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारीवृंद द्वारा गैर अतरंग न्यायालयिक प्रक्रिया की जाएगी ।

परंतु किसी पीड़ित की या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका पीड़ित होने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है जो जीवित है, के डीएनए परीक्षण के लिए शारीरिक पदार्थों के संग्रहण से पहले या किसी लापता व्यक्ति या अवयस्क या असमर्थ व्यक्ति के नातेदार की ऐसे पीड़ित या ऐसे अवयस्क या असमर्थ व्यक्ति के नातेदार या माता-पिता या संरक्षक की लिखित सहमति अभिप्राप्त की जाएगी और इनकार किए जाने की दशा में मामले का अन्वेषण करने वाला व्यक्ति ऐसे शारीरिक पदार्थ अभिप्राप्त करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा और मजिस्ट्रेट, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति से शारीरिक पदार्थ लेने के लिए युक्तियुक्त कारण हैं तो वह उस व्यक्ति से शारीरिक पदार्थ लेने का आदेश कर सकेगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतरंग शारीरिक पदार्थ" से रक्त, वीर्य या कोई अन्य उत्तक, तरल मूत्र या लोक केश या मुख से भिन्न व्यक्ति के शरीर के छिद्र से ली गई फुरेरी या किसी जीवित या मृत व्यक्ति के आंतरिक अंग या शरीर के भाग से ली गई त्वचा या उत्तक अभिप्रेत है ।

(ख) "अंतरंग न्यायालय प्रक्रिया" से जीवित व्यष्टि पर की गई निम्नलिखित न्यायालयिक प्रक्रियाओं में से कोई न्यायालयिक प्रक्रिया अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों की बाह्य परीक्षा ;

(ii) रक्त का नमूना लेना ;

(iii) जघन केश का नमूना लेना ;

(iv) महिलाओं के मामले में बाह्य जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से स्वैब द्वारा या धोकर नमूने लेना ;

(v) महिलाओं के मामले में बाह्य जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से निर्वात स्तनपान द्वारा या खुरचन द्वारा या टेप उठाकर नमूने लेना ;

(vi) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों की आवृत्ति या उनसे घाव के आकार के फोटो या वीडियो रिकार्डिंग लेना ;

(ग) "गैर अंतरंग शारीरिक पदार्थ" से किसी जीवित या मृत व्यक्ति के या उसके शरीर से लिए गए निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) हस्त छाप, उंगुली छाप, पद छाप या अंगुठा छाप;

(ii) जघन केश से भिन्न केश का नमूना ;

(iii) नाखून या नाखून के नीचे से लिया गया नमूना ;

(iv) व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से जिसमें मुख भी है किंतु शरीर का कोई अन्य छिद्र नहीं है, से लिया गया स्वैब ;

(v) लार ; या

(vi) त्वचा छाप ;

(ङ) "गैर अंतरंग न्यायालयिक प्रक्रिया" से किसी जीवित व्यष्टि पर की गई निम्नलिखित न्यायालयिक प्रक्रियाओं में से कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से भिन्न शरीर के किसी भाग की परीक्षा जिसमें शरीर का स्पर्श किया जाना या वस्त्र हटाने की अपेक्षा की जाती है;

(ii) जघन केश से भिन्न केश का नमूना लेना ;

(iii) नाखून या नाखून के नीचे से नमूना लेना ;

(iv) सहमति से मुख स्वैब लेना ;

(v) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से भिन्न शरीर के किसी बाह्य भाग से स्वैब या धुलाई से नमूना लेना ;

(vi) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से भी भिन्न शरीर के किसी बाह्य भाग से टेप से खुरचकर या उसके द्वारा उठाकर नमूना लेना ;

(vii) हैंड प्रिंट, फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट या टो प्रिंट लेना ;

(viii) स्त्री के मामले में जननांग या गुदा क्षेत्र, नितंबों तथा स्तनों से भिन्न शरीर के किसी भाग की छाप या उससे किसी घाव के आकार की फोटो या वीडियो रिकार्डिंग लेना ;

पुनः परीक्षा के लिए शारीरिक पदार्थों का लिया जाना ।

24. यदि विचारण न्यायालय का अभियुक्त व्यक्ति के अभिवाक से यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति से लिया गया या अपराध किए जाने के स्थान से संगृहीत शारीरिक पदार्थ संदूषित हो गया है तो न्यायालय पुनः परीक्षा के लिए नए सिरे से शारीरिक पदार्थ लेने का निदेश दे सकेगा ।

अध्याय 5

डीएनए डाटा बैंक

डीएनए डाटा बैंक की स्थापना ।

25. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय डीएनए बैंक, प्रत्येक राज्य के लिए या दो या अधिक राज्यों के लिए इतनी संख्या में क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक स्थापित करेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(2) क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक अपने द्वारा भंडारित और अनुरक्षित किए गए

सभी डीएनए डाटा को राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के साथ सांझा करेगा ।

(3) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंकों से डीएनए डाटा प्राप्त करेगा और डीएनए प्रयोगशालाओं से ऐसे रूप विधान में प्राप्त डीएनए प्रोफाइलों का भंडारण करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

डीएनए डाटा बैंक की सूचियों का अनुरक्षण ।

26. (1) प्रत्येक डीएनए डाटा बैंक, डाटा के विभिन्न प्रवर्गों की निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं का रखरखाव करेगा, अर्थात् :—

(क) अपराध दृश्य स्थल की अनुक्रमणिका ;

(ख) संदिग्ध व्यक्तियों की अनुक्रमणिका या विचारणाधीन कैदियों की अनुक्रमणिका;

(ग) अपराधियों की अनुक्रमणिका ;

(घ) लापता व्यक्तियों की अनुक्रमणिका ; और

(ङ) अज्ञात मृतक व्यक्तियों की अनुक्रमणिका ।

(2) प्रत्येक डीएनए डाटा बैंक, प्रत्येक डीएनए प्रोफाइल के संबंध में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुक्रमणिकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनाओं को रखेगा, अर्थात् :—

(क) संदिग्ध व्यक्तियों की अनुक्रमणिका या विचारणाधीन कैदियों की अनुक्रमणिका या अपराधियों की अनुक्रमणिका के प्रोफाइल के मामले में उस व्यक्ति की पहचान जिसके शारीरिक पदार्थों से प्रोफाइल प्राप्त किया गया है ; और

(ख) संदिग्ध व्यक्तियों की अनुक्रमणिका या विचारणाधीन कैदियों की अनुक्रमणिका या अपराधियों की अनुक्रमणिका से भिन्न प्रोफाइल के मामले में, उस अन्वेषण का मामला संदर्भ संख्यांक जो उन शारीरिक पदार्थों से सहयुक्त है जिससे प्रोफाइल प्राप्त किया गया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुरक्षित अनुक्रमणिकाओं के अंतर्गत डीएनए परीक्षण पर आधारित डाटा की सूचना और उससे संबंधित डीएनए प्रयोगशाला द्वारा तैयार किए गए अभिलेख भी हैं ।

डीएनए डाटा बैंक निदेशक ।

27. (1) केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डाटा बैंक के निष्पादन, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनों के लिए उस सरकार द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्तियों से जो विहित किए जाएं, गठित किसी चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक का निदेशक नियुक्त करेगी।

(2) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक का निदेशक जैव-विज्ञान में ऐसी शैक्षणिक अर्हताओं और अनुभवों वाला, जो विहित किए जाएं, ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा ।

(3) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक का निदेशक भारत सरकार के किसी निदेशक की श्रेणी से अनिम्न या समतुल्य होगा और वह बोर्ड के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।

(4) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक का निदेशक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) केंद्रीय सरकार, प्रत्येक क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक के लिए एक निदेशक नियुक्त कर सकेगा जो भारत सरकार के उपसचिव की श्रेणी से अनिम्न या उसके

समतुल्य होगा और वह बोर्ड के पर्यवेक्षण या नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।

राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंकों के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

28. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंकों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(2) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत नियुक्ति की रिक्ति भी है, ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं ।

(3) बोर्ड, डीएनए डाटा बैंकों के अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए, ऐसे पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तों पर जिसके अंतर्गत नियुक्ति की रिक्ति भी है, इतनी संख्या में अधिकारियों और विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

डीएनए प्रोफाइल की तुलना और संसूचना ।

29. (1) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक द्वारा डीएनए प्रोफाइलों की प्राप्ति पर डीएनए डाटा बैंक में रखे गए डीएनए प्रोफाइलों के साथ तुलना में ऐसी मापदंडों और प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा और उसके परिणामों को ऐसे व्यक्तियों को तथा ऐसी रीति में संसूचित किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं :

परंतु यदि ऐसा डीएनए प्रोफाइल किसी ऐसे जीवित व्यक्ति के, जो न तो कोई अपराधी है और न संदेहास्पद है तथा न विचारणाधीन कैदी है, शारीरिक पदार्थ से प्राप्त किया गया है वहां उसकी तुलना डीएनए डाटा बैंक में रखे गए अपराधियों की अनुक्रमणिका में के या संदेहास्पदों की अनुक्रमणिका या विचारणाधीन कैदियों की अनुक्रमणिका के डीएनए प्रोफाइलों के साथ नहीं की जाएगी ।

(2) डीएनए डाटा बैंक के संदिग्धों की अनुक्रमणिका या विचारणाधीन कैदियों की अनुक्रमणिका या अपराधियों की अनुक्रमणिका में अंतर्विष्ट व्यक्तियों के डीएनए प्रोफाइलों से संबंधित कोई सूचना केवल ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को संसूचित की जाएगी ।

डीएनए प्रोफाइल का विदेशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से साझा करना ।

30. (1) किसी विदेशी राज्य की सरकार या अंतरराष्ट्रीय संगठन या ऐसी सरकार की किसी संस्था या अंतरराष्ट्रीय संगठन से किसी डीएनए प्रोफाइल की प्राप्ति पर, राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक ऐसे डीएनए प्रोफाइल का मिलान अपराध घटनास्थल अनुक्रमणिका, अपराधियों की अनुक्रमणिका, संदिग्धों की अनुक्रमणिका, विचारणाधीन कैदियों की अनुक्रमणिका, लापता व्यक्तियों की अनुक्रमणिका और अज्ञात मृतक व्यक्तियों की अनुक्रमणिका में अन्तर्विष्ट डीएनए प्रोफाइल के साथ यह अवधारित करने के लिए कर सकेगा कि क्या प्रोफाइल में कोई समानता है और राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक का निदेशक केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण के माध्यम से, यथास्थिति, ऐसी सरकार या संगठन या संस्था को निम्नलिखित सूचना संसूचित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) कि प्रोफाइल के बीच कोई समानता नहीं है ;

(ख) यदि प्रोफाइल के बीच कोई समानता है, तो डीएनए प्रोफाइल की ऐसी समानता से संबंधित कोई सूचना ; या

(ग) यदि डीएनए डाटा बैंक के निदेशक की राय में, डीएनए प्रोफाइल डीएनए डाटा बैंक में अतंर्विष्ट प्रोफाइल के समरूप है तो ऐसे समरूप डीएनए प्रोफाइल से संबंधित सूचना ;

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट समरूप डीएनए प्रोफाइल प्राप्त करने

के पश्चात् यदि ऐसी विदेशी सरकार या संगठन या उपधारा (1) में निर्दिष्ट संस्था को यह सूचित करता है कि उसके द्वारा दिए गए डीएनए प्रोफाइल के समरूप डीएनए प्रोफाइल होने की संभावना को यह अपवर्जित नहीं करता है तो उस समरूप डीएनए प्रोफाइल से संबंधित कोई और सूचना भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में दी जा सकेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से,—

(क) यथास्थिति, किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या उस सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था या संगठन के साथ अपराधियों, संदिग्धों, विचारणाधीन कैदियों, लापता व्यक्तियों और अज्ञात मृतक व्यक्तियों से संबंधित डीएनए प्रोफाइलों को साझा करने की प्रकृति और सीमा अवधारित कर सकेगी;

(ख) ऐसे विदेशी राज्य, संगठन या संस्थाओं से उसी प्रकार की सूचना मांग सकेगी,

उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

अभिलेखों का रखा जाना और हटाया जाना ।

31. (1) अपराध घटनास्थल में अंतर्विष्ट सूचना को रखा जाएगा ।

(2) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक, डीएनए डाटा बैंक से,—

(i) कानूनी उपबंधों के अधीन पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के पश्चात् या न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी संदिग्ध का;

(ii) न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी विचारणाधीन कैदी का,

डीएनए प्रोफाइल, डीएनए डाटा बैंक से हटा देगा और उसकी संसूचना उसे ऐसी रीति में देगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक, ऐसे व्यक्ति के, जो न तो कोई अपराधी है न संदिग्ध या विचारणाधीन कैदी है किंतु जिसके डीएनए प्रोफाइल की प्रविष्टि डीएनए डाटा बैंक की अपराध घटनास्थल अनुक्रमणिका या लापता व्यक्तियों की अनुक्रमणिका में प्रविष्ट है उससे उसके डीएनए प्रोफाइल को हटाने के लिए लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर, ऐसे व्यक्ति के डीएनए प्रोफाइल को डीएनए डाटा बैंक से, संबंधित व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना देते हुए हटा देगा :

परंतु जहां डीएनए प्रोफाइल किसी अवयस्क या किसी दिव्यांग व्यक्ति का है तो ऐसे अवयस्क या दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता या संरक्षक के लिखित अनुरोध पर ही हटाया जाएगा ।

(4) इस धारा के अध्यधीन, किसी डीएनए डाटा बैंक या डीएनए प्रयोगशालाओं में या उनसे किसी डीएनए प्रोफाइल की प्रविष्टि, उनके रखे जाने और हटाए जाने के लिए मानदंड ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्याय 6

सूचना का संरक्षण

सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता ।

32. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक या क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक या किसी डीएनए प्रयोगशाला या किसी अन्य व्यक्ति या किसी प्राधिकारी को भेजा गया या उसकी अभिरक्षा में डीएनए प्रोफाइलों से संबंधित सूचना, डीएनए नमूनों

और उनके किन्हीं अभिलेखों को सुरक्षित और गोपनीय रखा जाता है ।

(2) बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना का किसी पहुंच, ऐसे उपयोग या प्रकटन, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं है और किसी दुर्घटनावश या आशयित नष्ट करने, हानि या नुकसान के विरुद्ध संरक्षण किया जाता है ।

(3) बोर्ड, उपधारा (1) और उपधारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपायों को अंगीकृत और कार्यान्वित करेगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त या नियोजित किसी अभिकरण के पास सूचना के लिए समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय हैं ; और

(ग) सुनिश्चित करेगा कि किसी जांच अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था के साथ किए गए करार या ठहराव इस अधिनियम के अधीन बोर्ड पर अधिरोपित समतुल्य बाध्यता अधिरोपित करते हैं और ऐसे अभिकरण, संगठन या संस्था से केवल बोर्ड के अनुदेशों पर कार्य करने की अपेक्षा करते हैं ।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड या उसका कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी, राष्ट्रीय या प्रादेशिक डीएनए डाटा बैंक के निदेशक या उसके कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या डीएनए प्रयोगशाला का भारसाधक और अन्य कर्मचारीवृंद या इस अधिनियम के अधीन नियोजित अभिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान या तत्पश्चात् डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूनों और उनके किन्हीं अभिलेखों की किसी सूचना का किसी को प्रकटन नहीं करेगा ।

डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूनों और अभिलेखों आदि का व्यक्तियों की पहचान को सुकर बनाने के लिए प्रयोग ।

33. किन्हीं डीएनए प्रयोगशालाओं और डीएनए डाटा बैंक में अंतर्विष्ट सभी डीएनए डाटा जिसके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूने और उसके अभिलेख भी है, का प्रयोग केवल व्यक्ति की पहचान को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं ।

कतिपय मामलों में सूचना तक पहुंच ।

34. डीएनए डाटा बैंक में रखे हुए डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूनों और उनके अभिलेखों से संबंधित किसी सूचना को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात् :—

(क) विधि प्रवर्तन और अन्वेषक अभिकरणों द्वारा दांडिक मामलों में व्यक्तियों की पहचान को सुकर बनाने के लिए ;

(ख) साक्ष्य की ग्राह्यता के नियमों के अनुसार, न्यायिक कार्यवाहियों में ;

(ग) दांडिक मामलों में अभियोजन और न्यायनिर्णयन को सुकर बनाने के लिए ;

(घ) किसी अभियुक्त द्वारा ऐसे दांडिक मामले में, जिसमें वह आरोपी है, उसकी प्रतिरक्षा के लिए ;

(ङ) न्यायालय या संबंधित प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित पक्षकारों को ऐसी सूचना उपलब्ध करवा कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिविल विवादों या अन्य सिविल मामलों या अपराधों या मामलों से संबंधित अन्वेषण के लिए; या

(च) ऐसे अन्य मामलों में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

प्रचालन, अनुरक्षण और प्रशिक्षण के लिए सूचना तक पहुंच ।

35. राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक में अंतर्विष्ट ऐसी सूचना को निदेशक द्वारा यदि वह उचित समझता है तो—

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, डीएनए डाटा बैंक के उचित प्रचालन और अनुरक्षण के एकमात्र प्रयोजन के लिए; और

(ख) किसी डीएनए प्रयोगशाला के कार्मिक को प्रशिक्षण के एकमात्र प्रयोजन के लिए ,

ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ।

एक बारगी की बोर्ड खोज के लिए डीएनए डाटा बैंक में सूचना तक पहुंच ।

36. कोई व्यक्ति जो डीएनए डाटा बैंक की अनुक्रमणिका तक पहुंच के लिए डीएनए पहचान अभिलेख या डीएनए प्रोफाइल को उस अनुक्रमणिका में सूचना को सम्मिलित करने के लिए प्राधिकृत है, वह दांडिक अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संगृहीत किसी डीएनए नमूने से प्राप्त सूचना को एक बारगी की बोर्ड खोज के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए उस तक पहुंच रखेगा, सिवाय उस डीएनए नमूने के जो हटाने मात्र के प्रयोजन के लिए स्वेच्छया प्रस्तुत किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "एक बारगी की बोर्ड खोज" से ऐसी खोज अभिप्रेत है, जिसमें उस डीएनए नमूने से अभिप्राप्त सूचना की तुलना डीएनए डाटा बैंक की अनुक्रमणिका में की सूचना से की गई है, उसे अनुक्रमणिका में डीएनए नमूने से अभिप्राप्त सूचना के रुप में बदले बिना सम्मिलित किया जाएगा ।

अपराध घटनास्थल अनुक्रमणिका में सूचना तक पहुंच पर निर्बंधन ।

37. डीएनए डाटा बैंक में अंतर्विष्ट अपराध घटनास्थल अनुक्रमणिका की सूचना तक पहुंच ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निर्बन्धित होगी यदि ऐसी सूचना निम्नलिखित के शारीरिक पदार्थों से व्युत्पन्न किसी डीएनए प्रोफाइल से संबंधित है :—

(क) किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति से, जो सुसंगत अन्वेषण का विषय है या बनता है ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति से, जिसे सुसंगत अन्वेषण में संदिग्ध होने से हटाया गया है ।

डीएनए डाटा बैंक में सूचना पर पहुंच पर प्रतिषेध ।

38. (1) कोई व्यक्ति, जो डीएनए प्रोफाइल को डीएनए डाटा बैंक में प्रविष्ट करने के लिए प्राप्त करता है वह उन प्रयोजनों से, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसे संगृहीत किया गया है, भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा या प्रयोग नहीं करवाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति, डीएनए डाटा बैंक में अंतर्विष्ट किसी डीएनए प्रोफाइल की सूचना या धारा 29 और धारा 30 के अधीन संसूचित की गई सूचना को संसूचित या संसूचित करने के लिए प्राधिकृत या संसूचित करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा या करवाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन सूचना संसूचित की गई है या

जो उस सूचना तक पहुंच रखता है उस सूचना का उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिए संसूचना या पहुंच की अनुज्ञा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गई है ।

अध्याय 7

वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिपोर्ट

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

39. केंद्रीय सरकार, संसद के, विधि द्वारा, इस निमित्त किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् बोर्ड को धन की ऐसी रकम का अनुदान दे सकेगी, जो केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

डीएनए विनियामक बोर्ड निधि ।

40. (1) डीएनए विनियामक बोर्ड निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को दिया गया कोई अनुदान और ऋण ;

(ख) बोर्ड के द्वारा प्राप्त सभी राशियां जिसके अंतर्गत फीस या प्रभार या किसी ऐसे अन्य स्रोत से संदान भी हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं ;

(ग) निधि की रकम के विनिधान से कोई आय ।

(2) इस निधि को बोर्ड द्वारा निम्न को पूरा करने के लिए उपयोजित किया जाएगा—

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यय भी हैं ; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए व्यय ।

बजट ।

41. (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररुप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, बजट तैयार करेगा जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित होंगे और उसे केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

(2) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से वित्तीय विनियमन अंगीकार करेगा जिसमें विशिष्टतया बोर्ड के बजट को लेखबद्ध करने और कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट हो ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

42. बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररुप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण हिसाब दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

बोर्ड के लेखे और संपरीक्षा ।

43. (1) बोर्ड, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररुप में तैयार करेगा जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(2) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो ऐसी संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में

होते हैं और, विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा पेपरों की मांग करने का अधिकार होगा और बोर्ड के किसी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

(3) बोर्ड द्वारा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित बोर्ड के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे ।

(4) बोर्ड के लेखाओं की, नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

44. केन्द्रीय सरकार, बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

डीएनए डाटा बैंक में की सूचना के अप्राधिकृत प्रकटन के लिए शास्ति ।

45. जो कोई, अपने नियोजन या पदीय हैसियत या अन्यथा आधार पर, डीएनए प्रयोगशाला या डीएनए डाटा बैंक में रखी हुई वैयक्तिक पहचान करने वाली डीएनए सूचना को कब्जे में रखता है या उस तक पहुंच है और जानबूझकर किसी व्यक्ति या अभिकरण को उसे किसी भी रीति में प्रकट करता है जो इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

बिना प्राधिकार के डीएनए डाटा बैंक से सूचना अभिप्राप्त करने के लिए शास्तियां ।

46. जो कोई, बिना प्राधिकर के, जानबूझकर डीएनए प्रयोगशाला या डीएनए डाटा बैंक से वैयक्तिक पहचान करने वाली सूचना अभिप्राप्त करता है, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

बिना प्राधिकार के डीएनए नमूने या परिणाम का उपयोग करने के लिए शास्ति ।

47. जो कोई जानबूझकर बिना प्राधिकार के किसी डीएनए नमूने या किसी डीएनए विश्लेषण के परिणाम का उपयोग करता है वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

डीएनए डाटा बैंक की सूचना तक विधिविरुद्ध पहुंच के लिए शास्तियां।

48. जो कोई, इस अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में किए जाने से अन्यथा डीएनए डाटा बैंक में भंडारित सूचना तक पहुंच करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

जैविक साक्ष्य को नष्ट करना, परिवर्तित करना, संदूषित करना या बिगाड़ने के लिए शास्ति ।

49. जो कोई जानबूझकर और साशय जैविक साक्ष्य को, जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन परिरक्षित करने की अपेक्षा है, साक्ष्य का डीएनए परीक्षण किए जाने या ऐसे साक्ष्य को किसी न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने से निवारित करने के आशय से नष्ट करता है, परिवर्तित करता है, संदूषित करता है या बिगाड़ता है, कारावास से, जिसकी अवधि जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट दंड उपबंधित नहीं है ।

50. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के किन्हीं ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अधिनियम में कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कंपनियों या संस्थाओं द्वारा अपराध ।

51. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी या संस्था द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी या संस्था के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी या संस्था का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी या संस्था भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी या संस्था द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी या संस्था के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

52. बोर्ड, राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंकों के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारी, जब इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

53. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड या राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक या क्षेत्रीय डाटा बैंकों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

केंद्रीय सरकार की बोर्ड को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

54. (1) यदि किसी समय केंद्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) बोर्ड के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने या उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं ; या

(ख) बोर्ड ने इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसे सौंपे कृत्यों का निर्वहन करने और कर्तव्यों का पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति या बोर्ड के प्रशासन को नुकसान उठाना पड़ा है ; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिसमें लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

तो वह अधिसूचना द्वारा बोर्ड को छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार ऐसी अधिसूचना जारी करने से पूर्व बोर्ड को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी और बोर्ड के अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) अधिक्रमण की तारीख से अध्यक्ष और सदस्य उस हैसियत में अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, जिनका प्रयोग और निर्वहन इस अधिनियम द्वारा या उनके अधीन, बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है, जब तक उपधारा (3) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन नहीं कर लिया जाता है, का प्रयोग और निर्वहन किसी ऐसे प्रशासक द्वारा किया जाएगा जो भारत सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न कोई पदधारी होगा जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ; और

(ग) बोर्ड के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाणीन सभी संपत्ति, जब तक कि उपधारा (3) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन नहीं कर लिया जाता है, केंद्रीय सरकार में निहित होगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि के अवसान पर बोर्ड का नई नियुक्ति द्वारा पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में कोई व्यक्ति, जिसने या जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया था, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार, अधिक्रमण की अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय इस उपधारा के अधीन कार्रवाई कर सकेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना की एक प्रति और उस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और उन परिस्थितियों की पूरी रिपोर्ट, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष यथाशीघ्र रखवाएगी ।

केंद्रीय सरकार के निदेश देने की शक्ति ।

55. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केंद्रीय सरकार, उसे समय-समय पर लिखित में दे ।

(2) यदि केंद्रीय सरकार और बोर्ड के बीच यह विवाद उत्पन्न होता है कि क्या कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं तो उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम

होगा ।

56. (1) केंद्रीय सरकार, यदि उसकी राय में ऐसा करना समीचीन है तो, अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी जिससे उसके किसी भाग में किसी प्रविष्टि को उसमें सम्मिलित या उससे अपवर्जित या उसकी भांति में फेरफार किया जा सके । केंद्रीय सरकार की अनुसूची संशोधित करने की शक्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

57. किसी भी न्यायालय को किसी ऐसे मामले की बाबत कोई भी वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसको अवधारित करने के लिए बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है । न्यायालयों की अधिकारिता का न होना ।

58. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उपाध्यक्ष और सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते और उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और अन्य पदेन सदस्यों को संदेय भत्ते ;

(ख) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें ;

(ग) धारा 12 के खंड (ढ) के अधीन वह रीति जिसमें बोर्ड देश में विभिन्न अन्वेषण अभिकरणों के बीच और डीएनए परीक्षण से संबंधित किसी विदेशी राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था की आपराधिक अन्वेषण में सहायता और सहयोग करेगा ;

(घ) धारा 12 के खंड (थ) के अधीन बोर्ड के ऐसे अन्य कृत्य ;

(ङ) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन की रीति और वे व्यक्ति जिनसे मिलकर समिति बनेगी ;

(च) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक की शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव;

(छ) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक और प्रत्येक क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें जिसके अंतर्गत नियुक्ति की रीति भी है;

(ज) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिस पर बोर्ड धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन अपना बजट तैयार करेगा ;

(झ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिस पर बोर्ड धारा 42 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(ञ) वह प्ररुप, जिसमें धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ; और

(ट) कोई ऐसा अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

59. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय और स्थान, जिस पर बोर्ड धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन बैठक करेगा और वह प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) जिसका अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में पालन करेगा ;

(ख) धारा 12 के खंड (ज) के अधीन डीएनए तकनीकियों और प्रौद्योगिकियों के अधिकतम उपयोग के अन्य सुसंगत प्रयोजन ;

(ग) वह प्ररूप, फीस और रीति जिसमें धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन किसी डीएनए प्रयोगशाला द्वारा प्रत्यायन के लिए आवेदन किया जाएगा ;

(घ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन किसी डीएनए प्रयोगशाला द्वारा अनुसरण की जाने वाली आन-साइट निर्धारण अपेक्षाएं, मानक और ऐसी अन्य अपेक्षाएं ;

(ङ) वह प्ररूप, फीस और रीति जिसमें धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन किसी डीएनए प्रयोगशाला द्वारा प्रत्यायन के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा ;

(च) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन किसी डीएनए प्रयोगशाला द्वारा पालन की जाने वाली बाध्यताएं;

(छ) धारा 18 के अधीन किसी डीएनए प्रयोगशाला के प्रभारी व्यक्ति, तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारिवृन्द तथा डीएनए प्रयोगशाला के अन्य कर्मचारियों के संबंध में शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव तथा अन्य पात्रता मानदंड ;

(ज) धारा 19 के अधीन किसी डीएनए प्रयोगशाला के प्रभारी द्वारा किए जाने वाले उपाय, वह स्तर और अंतरण जिस पर कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और रखे जाने वाले अभिलेख ;

(झ) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन डीएनए प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाने वाले उपाय ;

(ञ) धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन डीएनए नमूने के संग्रहण के लिए अन्य स्रोत ;

(ट) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन ऐसा अन्य व्यक्ति जिसके पर्यवेक्षणाधीन डीएनए नमूना संगृहीत किया जा सकेगा ;

(ठ) वह रूप विधान जिसमें धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक, क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंकों से डीएनए डाटा प्राप्त करेगा और डीएनए प्रोफाइलों का भंडारण करेगा ;

(ड) धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य ;

(ढ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक, नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत नियुक्ति की रीति भी है ;

(ण) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मानदंड और प्रक्रिया, वह व्यक्ति जिसको परिणाम संसूचित किया जाएगा और संसूचना की रीति ;

(त) वह रीति जिसमें धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक द्वारा किसी संदिग्ध या किसी विचारणाधीन कैदी का डीएनए प्रोफाइल निकाला जाएगा ;

(थ) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिसमें ऐसे व्यक्ति के लिए अन्य प्रोफाइल को जो न तो अपराधी है न संदिग्ध है, अपराध घटनास्थल अनुक्रमणिका या लापता व्यक्तियों की अनुक्रमणिका से निकाला जाएगा ;

(द) धारा 31 की उपधारा (4) के अधीन किसी डीएनए प्रोफाइल को प्रविष्टि, रखे रखने या निकाले जाने के अन्य मानदंड ;

(ध) ऐसे अन्य प्रयोजन जिनके लिए धारा 34 के खंड (च) के अधीन डीएनए प्रोफाइलों, डीएनए नमूनों और उनसे संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध कराया जाएगा;

(न) धारा 35 के अधीन सूचना तक पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें ;

(प) वह रीति जिसमें धारा 37 के अधीन अपराध घटनास्थल अनुक्रमणिका में की सूचना तक पहुंच को निर्बन्धित किया जाएगा ;

(फ) ऐसा अन्य विषय जिसका या जिसकी बाबत अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

60. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, उसके बनाए के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

61. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 2(1) (viii), धारा 12(ण), धारा 34(ङ) और धारा 56(1) देखें]

डीएनए परीक्षण के विषयों की सूची

भाग-क

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध, जहां अपराधों की जांच के लिए डीएनए परीक्षण उपयोगी हैं ।

भाग-ख

अन्य विशेष विधियों के अधीन अपराध :

(i) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104)

(ii) गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34)

(iii) गर्भधारण पूर्व और निदान-तकनीक (लिंगचयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57)

(iv) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

(v) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22)

(vi) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33)

(vii) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)

भाग-ग

सिविल विवाद और अन्य सिविल मामले :

(i) पैतृक विवाद (मातृत्व या पितृत्व)

(ii) वंशावली से संबंधित विवाद्यक

(iii) सहायता प्राप्त पुन: जनन प्रौद्योगिकियों से संबंधित विवाद्यक । [सोरोगेसी, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन और इन्ट्रेट्राइन प्रतिरोपण या ऐसी अन्य प्रौद्योगिकियां]

(iv) मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) के अधीन मानव अंगों के प्रतिरोपण से संबंधित विवाद्यक (दाता और प्राप्तकर्ता)

(v) अप्रवास या उत्प्रवास से संबंधित विवाद्यक

(vi) व्यष्टिक पहचान स्थापित करने से संबंधित विवाद्यक

भाग-घ

अन्य मामले :

(i) चिकित्सीय उपेक्षा

(ii) अज्ञात मानव अवशेष

(iii) परित्यक्त या विवादित बालकों की पहचान और संबंधित विवाद्यक ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

डिआक्सीराइबो न्यूक्लीक एसिड (डीएनए) सभी जीवित रचनाओं का अनुदेश समुच्चय या रूपरेखा की तरह से है और यह जीव अंगों की कोशिका के विभिन्न अंशों के निर्माण और क्रिया के लिए कार्य प्रणालियों के विस्तृत समुच्चय को कोड करता है । प्रत्येक मानव का डीएनए अंश माता-पिता, दोनों के डीएनए के आधे-आधे से मिलकर बनता है । व्यक्ति की डीएनए रूपरेखा एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न होती है और यह भिन्नता ही है जो प्रत्येक व्यक्ति को अनन्य और भिन्न (समान जुड़वा के सिवाय) बनाती है । डीएनए में व्यक्ति-दर- व्यक्ति भिन्नता से इसके उपयोग को पहचान के माध्यम के रूप में और व्यक्तियों के बीच जैव संबंध स्थापित करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है ।

2. ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित डीएनए प्रौद्योगिकी को किसी बालक का मातृत्व और पितृत्व सिद्ध करने में और अपराध स्थल से अभिप्राप्त किसी जैव नमूनों के स्रोत की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी पाया गया है । न्यायालयों और अन्य अभिकरणों द्वारा डीएनए प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग से संबंधित मामलों में डीएनए परीक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और मानकों को विकसित करना आवश्यक बना दिया गया है ।

3. डीएनए प्रौद्योगिकी की न्याय प्रदान करने की प्रणाली में विस्तृत उपयोग की संभाव्यता है । दांडिक मामलों में इससे जैविक साक्ष्य के माध्यम से अपराधों के अन्वेषण में सहायता मिलती है, जिसके अंतर्गत बलात्संग के मामलों में वीर्य का साक्ष्य, हत्या के मामले में रक्त का साक्ष्य, गुमनाम धमकी पत्रों इत्यादि की स्रोत के पहचान में लार का साक्ष्य भी हैं । सिविल मामलों में इससे आपदाओं जैसे चक्रवातों और हवाई जहाज दुर्घटना आदि के शिकार व्यक्तियों की पहचान से संबंधित अन्वेषण में सहायता मिलती है । बहुत से अपराध बार-बार के अपराधियों द्वारा किए जाते हैं, जिनकी पकड़ और दोषसिद्धि में किसी डीएनए डाटा बैंक में भंडारित डीएनए प्रोफाइलों से अपराध स्थल पर जैविक साक्ष्य की तुलना करके सहायता मिलेगी । दूसरी ओर डीएनए विश्लेषण से सारभूत सूचना मिल जाती है, जिसका यदि दुरुपयोग या अनुचित उपयोग किया जाता है तो किसी व्यक्ति या समाज को नुकसान पहुंच सकता है ।

4. डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग और लागू करने के विनियमन की आवश्यकता को पहचानते हुए उपयुक्त विधान को अधिनियमित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए दिसंबर, 2003 में आणविक जीव विज्ञान, न्याय विज्ञान, मानव आनुवंशिकी, जनसंख्या जीव विज्ञान, जैव नीतिशास्त्र, विधि व्यवसाय, विधि प्रवर्तन अभिकरण आदि से मिलकर बनी डीएनए प्रोफाइलिंग सलाहकार समिति का गठन किया गया था । उक्त समिति की सिफारिशों पर एक प्रारूप विधेयक तैयार किया गया था । उसके पश्चात् जैव प्रोद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में निजता संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए वर्ष 2012 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक को पुनरीक्षित किया गया और तत्पश्चात् भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट किया गया, जिसने अपनी 271वीं रिपोर्ट में विधान के अधिनियमन का सुझाव दिया था ।

5. पूर्वोक्त दृष्टिकोण से डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019, कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों की, जिसके अंतर्गत पीड़ित अपराधी, संदेहास्पद, विचारणाधीन, लापता व्यक्ति तथा अज्ञात मृत व्यक्ति भी हैं, पहचान को

सिद्ध करने के प्रयोजनों के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को विनियमित करने के लिए है । विधेयक, अन्य बातों के साथ-साथ,—

(i) प्रत्यायन अभिप्राप्त किए बिना डीएनए परीक्षण, विश्लेषण आदि करने से प्रयोगशालाओं को प्रतिसिद्ध करने के लिए है ;

(ii) एक राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंकों की स्थापना के लिए है, जो सूचना, उसके प्रतिधारण और उसे नष्ट कर देने के लिए प्रयोग और पहुंच से संबंधित उपबंधों के अनुसार डीएनए प्रोफाइलों का भंडारण और रखरखाव करेंगे ;

(iii) प्रस्तावित विधान के अधीन डीएनए विनियामक बोर्ड की, उसे सौंपे गए कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए स्थापना करना, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी हैं—

(क) डीएनए प्रयोगशालाओं और डीएनए डाटा बैंकों की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना तथा ऐसी प्रयोगशालाओं और डाटा बैंकों की स्थापना और कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, मानक और प्रक्रियाएं अधिकथित करना ;

(ख) डीएनए परीक्षण, विश्लेषण आदि करने के लिए प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान करना और ऐसे प्रत्यायन को निलंबित या प्रतिसंहृत करना ;

(ग) देश के भीतर विभिन्न अन्वेषण अभिकरणों के बीच और किसी विदेशी राज्य, अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्था की दांडिक अन्वेषण में सहायता करना ; और

(घ) डीएनए नमूनों और उनके विश्लेषण तक पहुंच या उनके प्रयोग के संबंध में निजता संरक्षण को लागू किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना ।

(iv) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक, क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक, डीएनए प्रयोगशालाओं या किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को भेजे गए या उनकी अभिरक्षा में के डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूनों और उनके किन्हीं अभिलेखों से संबंधित सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए उपबंध करना ।

(iv) विधेयक के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए अपराधों और शास्तियों का उपबंध करना ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **डा0 हर्ष वर्धन**

27 जून, 2019

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 2 विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 3 निगमित निकाय के रूप में डीएनए विनियामक बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने के लिए है जिसकी शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे । बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे प्रादेशिक कार्यालय स्थापित कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 4 डीएनए विनियामक बोर्ड की संरचना का उपबंध करने के लिए है जो विधेयक के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव और दस अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।

विधेयक का खंड 5 बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके वेतन और भत्ते भी हैं, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 6 बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है । खंड यह और उपबंध करता है कि अध्यक्ष को बोर्ड के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां होंगी और ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

विधेयक का खंड 7 यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड के सदस्य कतिपय मामलों में बैठकों में भाग नहीं लेंगे ।

विधेयक का खंड 8 बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य को हटाए जाने और त्यागपत्र तथा आकस्मिक रिक्तियों को भरे जाने का उपबंध करने के लिए हैं ।

विधेयक का खंड 9 यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि या बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि या मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाली बोर्ड की प्रक्रिया में किसी अनियमितता के कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 10 यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस विधेयक के अधीन अपने कृत्यों को (विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) जो वह आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को प्रत्यायोजित कर सकेगा । खंड ऐसे आदेश को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए और उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 11 यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह विधेयक के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे । खंड यह और उपबंध करता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवाओं के अन्य निबंधन और शर्तें जिनके अंतर्गत उनकी नियुक्ति की रीति भी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएंगी ।

विधेयक का खंड 12 बोर्ड के विभिन्न कृत्यों को प्रगणित करता है जिनके अंतर्गत अन्य बातों के साथ साथ--(क) डीएनए प्रयोगशालाओं और डीएनए डाटा बैंकों की स्थापना से संबंधित सभी मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना तथा ऐसी प्रयोगशालाओं और डाटा बैंकों की स्थापना और उनके कार्यकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, मानक और प्रक्रियाएं अधिकथित करना; (ख) डीएनए परीक्षण, विश्लेषण आदि करने के लिए प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान करना और ऐसे प्रत्यायन को निलंबित या प्रतिसंहृत करना; (ग) देश के भीतर और किसी विदेशी राज्य, अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्था के साथ विभिन्न अन्वेषण अभिकरणों के बीच आपराधिक अन्वेषण में सहायता करना; और (घ) डीएनए नमूनों और उनके विश्लेषणों तक पहुंच या उनके उपयोग के संबंध में निजता संरक्षण के लागू किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना, भी हैं ।

विधेयक का खंड 13 यह उपबंध करने के लिए है कि कोई प्रयोगशाला बोर्ड से प्रत्यायन अभिप्राप्त किए बिना डाटा सृजित करने और उससे संबंधित विश्लेषण करने के लिए डीएनए परीक्षण, विश्लेषण या उससे संबंधित कोई अन्य प्रक्रिया नहीं करेगी । खंड यह और उपबंध करता है कि विधेयक के प्रारंभ की तारीख को कार्य कर रही कोई प्रयोगशाला ऐसे प्रारंभ से साठ दिन की अवधि के लिए डीएनए परीक्षण या उससे संबंधित कोई अन्य प्रक्रिया कर सकेगी और प्रत्यायन अभिप्राप्त करने के लिए उक्त खंड के उपखंड (2) के अनुसार बोर्ड को आवेदन कर सकेगी और ऐसी प्रयोगशाला आवेदन करने के पश्चात् डीएनए परीक्षण या उससे संबंधित कोई प्रक्रिया तब तक करती रहेगी जब तक उसके आवेदन को बोर्ड द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाए । खंड यह भी उपबंध करता है कि प्रत्यायन के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति और ऐसी फीस के साथ जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं जो प्रत्यायन के अवसान के कम से कम साठ दिन पहले बोर्ड को किया जाएगा।

विधेयक का खंड 14 प्रयोगशाला को प्रत्यायन या नवीकरण की मंजूरी का उपबंध करने के लिए है जो डीएनए परीक्षण, विश्लेषण या आंकडा सृजित करने की अन्य प्रक्रिया और उससे संबंधित विश्लेषण करने के लिए है । खंड यह और उपबंध करने के लिए है कि इस खंड के अधीन प्रत्यायन या प्रत्यायन का नवीकरण दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

विधेयक का खंड 15 डीएनए प्रयोगशाला को प्रदान किए गए प्रत्यायन को निलंबित करने या प्रतिसंहृत करने की, यदि ऐसी प्रयोगशाला उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहती हैं, बोर्ड की शक्ति का उपबंध करने के लिए है । खंड यह और उपबंध करता है कि डीएनए प्रयोगशाला के प्रत्यायन का कोई प्रतिसंहरण बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा । खंड यह और उपबंध करता है कि डीएनए प्रयोगशाला के प्रत्यायन के प्रतिसंहृण या निलंबन पर, प्रयोगशाला सभी डीएनए नमूनों और डीएनए परीक्षण से संबंधित अभिलेखों को अपनी प्रयोगशाला से ऐसी डीएनए प्रयोगशाला को सौंपेगी जिसका बोर्ड द्वारा निदेश किया जाए और यह किसी नमूने या अभिलेख का प्रतिधारण नहीं करेगी ।

विधेयक का खंड 16 यह उपबंध करने के लिए है कि खंड 14 के अधीन प्रत्यायन या उसके नवीकरण के लिए इसके आवेदन की नामंजूरी के आदेश से या

खंड 15 के अधीन प्रत्यायन के निलंबन या प्रतिसंहृत के आदेश से व्यथित कोई प्रयोगशाला केन्द्रीय सरकार को या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी को जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगी जिसका, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर विनिश्चय किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 17 यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला जिसे इस विधेयक के अधीन डीएनए परीक्षण करने या किसी अन्य प्रक्रिया के लिए प्रत्यायन मंजूर किया गया है, डीएनए नमूने के संग्रहण, भंडारण, परीक्षण और विश्लेषण में क्वालिटी आश्वासन के संबंध में ऐसे मानक और प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी और ऐसी प्रलेखीकरण और क्वालिटी प्रणाली की स्थापना करेगी और बनाए रखेगी । ऐसे ब्यौरों को अंतर्विष्ट करने वाले क्वालिटी निदेशों को तैयार करेगी और उनका रखरखाव करेगी तथा राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक के साथ उसके द्वारा तैयार किए गए और अनुरक्षित डीएनए डाटा को ऐसी रीति में साझा करेगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

विधेयक का खंड 18 यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक डीएनए प्रयोगशाला इस विधेयक के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का पालन करने के लिए प्रयोगशाला के भारसाधक व्यक्ति को नियुक्त करेगी तथा ऐसे वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद को नियुक्त करेगी जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हों जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

विधेयक का खंड 19 यह उपबंध करने के लिए है कि डीएनए प्रयोगशाला का भारसाधक डीएनए परीक्षण के क्षेत्र में तथा ऐसे अन्य संबंधित क्षेत्रों में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं अपने कर्मचारियों के कौशल उन्नयन तथा ज्ञान में अभिवृद्धि को सुकर बनाने के लिए ऐसे उपाय करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी ऐसी संस्थाओं में ऐसे स्तर पर और अंतरालों पर डीएनए संबंधी विषयों पर ऐसा नियमित प्रशिक्षण लेंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और प्रयोगशाला तथा इसके कार्मिकों से संबंधित ऐसे अभिलेख रखेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

विधेयक का खंड 20 डीएनए प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले विभिन्न उपायों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 21 किसी ऐसे व्यक्ति से जो किसी अपराध (विनिर्दिष्ट अपराधों से भिन्न) के लिए गिरफ्तार किया जाता है, कोई शारीरिक पदार्थ तब तक लेने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है जब तक कि शारीरिक पदार्थ लेने के लिए लिखत में सहमति न दे दी गई हो ।

विधेयक का खंड 22 यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस समय अपराध स्थल पर उपस्थित था जब वह किया गया था या जिससे किसी अपराध के संबंध में पूछताछ की गई है; या जिसका आपदा में या अन्यथा उसके लापता या खोए हुए नातेदार के पता ठिकाना मालूम करना आशयित है, इसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए उससे डीएनए परीक्षण के लिए शारीरिक पदार्थ लेने के लिए लिखित में स्वेच्छा से सहमति दे सकेगा ।

विधेयक का खंड 23 डीएनए परीक्षण के लिए नमूनों के संग्रहण के स्रोत और

रीति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 24 यह उपबंध करने के लिए है कि यदि विचारण न्यायालय का अभियुक्त व्यक्ति के अभिवाक् से यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति से लिया गया या अपराध किए जाने के स्थान से संगृहित शारीरिक पदार्थ संदूषित हो गया है तो न्यायालय पुन: परीक्षा के लिए नए सिरे से शारीरिक पदार्थ लेने का निदेश दे सकेगा ।

विधेयक का खंड 25 राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और प्रत्येक राज्य के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए इतनी संख्या में क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक जो, वह आवश्यक समझे, की स्थापना करने के लिए है । खंड यह और उपबंध करता है कि क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक उसके द्वारा भंडारित और अनुरक्षित सभी डीएनए डाटा को राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के साथ साझा करेगा ।

विधेयक का खंड 26 यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक डीएनए डाटा बैंक, डाटा के विभिन्न प्रवर्गों की अनुक्रमणिकाओं और उसमें विनिर्दिष्ट सूचना का रखरखाव करेगा ।

विधेयक का खंड 27 राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के लिए निदेशक और प्रत्येक क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक के लिए निदेशकों की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 28 राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके वेतन और भत्तों, सेवा के निबंधनों और अन्य शर्तों, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक और प्रत्येक क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक की नियुक्ति की रीति भी है, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 29 डीएनए प्रोफाइल की तुलना करने और उसकी संसूचना देने में राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक द्वारा अनुसरित किए जाने वाले मानदंड और प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 30 विदेशी सरकार या संगठन या संस्था या अभिकरणों के साथ डीएनए प्रोफाइल साझा करने की रीति का उपबंध करने के लिए है । खंड यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार बोर्ड के परामर्श से विदेशी राज्य की सरकार या अंतरराष्ट्रीय संगठन या उस सरकार या संगठन द्वारा स्थापित संस्था के साथ अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों, विचारणाधीन कैदियों, लापता व्यक्तियों, अज्ञात मृत व्यक्तियों के संबंध में डीएनए प्रोफाइल को साझा करने की प्रकृति और सीमा का अवधारण कर सकेगी और ऐसे विदेशी राज्य, संगठन या संस्थाओं से वैसी ही जानकारी मांग सकेगी ।

विधेयक का खंड 31 डीएनए डाटा बैंक में अभिलेखों के रखे जाने या हटाए जाने की रीति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 32 सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता का उपबंध करने के लिए है । खंड बोर्ड से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है कि इस विधेयक के अधीन किसी राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक या किसी क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक या डीएनए प्रयोगशाला या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को भेजा गया या उसकी अभिरक्षा में डीएनए प्रोफाइलों से संबंधित सूचना डीएनए नमूनों और उनके किन्हीं अभिलेखों को सुरक्षित और गोपनीय रखा जाता है ।

विधेयक का खंड 33 किसी डीएनए प्रयोगशाला और डीएनए डाटा बैंक में अंतर्विष्ट सभी डीएनए डाटा, जिनके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूनें और उसके अभिलेखों भी हैं का उपबंध करने के लिए है जिनका प्रयोग केवल व्यक्ति की पहचान को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए ।

विधेयक का खंड 34 कतिपय मामलों में सूचना तक पहुंच का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 35 ऐसे निबंधनों और शर्तों जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के अनुसार प्रचालन, रखरखाव और प्रशिक्षण के एकमात्र प्रयोजन के लिए सूचना तक पहुंच का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 36 डीएनए डाटा बैंक में उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा एकबारगी की बोर्ड खोज के लिए सूचना तक पहुंच का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 37 अपराध घटनास्थल अनुक्रमणिका में सूचना तक पहुंच पर ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निर्बंधन का उपबंध करने के लिए है, यदि ऐसी सूचना अपराध के पीड़ित व्यक्ति से, जो सुसंगत अन्वेषण का विषय है या बनता है, शारीरिक पदार्थ से व्युत्पन्न डीएनए प्रोफाइल से संबंधित है ; या ऐसे व्यक्ति से जिसे सुसंगत अन्वेषण में संदिग्ध व्यक्ति के रूप में होने से हटाया गया है ।

विधेयक का खंड 38 डीएनए डाटा बैंकों में सूचना तक पहुंच पर प्रतिषेध का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 39 केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान देने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 40 डीएनए विनियामक बोर्ड निधि का गठन करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 41 बोर्ड द्वारा बजट को तैयार करने का उपबंध करने के लिए है जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय दर्शित होंगे और उन्हें केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 42 बोर्ड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का उपबंध करने के लिए है जिसमें पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण हिसाब दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

विधेयक का खंड 43 यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड के लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में रखे जाएंगे और उन्हें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 44 यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

विधेयक का खंड 45 डीएनए डाटा बैंक में सूचना के अप्राधिकृत प्रकटन के लिए दंड को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । खंड यह उपबंध करता है कि जो कोई अपने नियोजन या पदीय हैसियत या अन्यथा के आधार पर डीएनए प्रयोगशाला या डीएनए डाटा बैंक में रखी हुई व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य डीएनए सूचना कब्जे में रखता

है या उस तक पहुंच रखता है और जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति या अभिकरण को उसे किसी भी रीति में प्रकट करता है जो इस विधेयक के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राप्त करने की हकदार नहीं है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 46 बिना प्राधिकार के डीएनए डाटा बैंक से सूचना अभिप्राप्त करने के लिए दंड को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । खंड यह उपबंध करता है कि जो कोई बिना प्राधिकार के जानबूझकर डीएनए प्रयोगशाला या डीएनए डाटा बैंक से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य डीएनए सूचना अभिप्राप्त करता है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 47 बिना प्राधिकार के डीएनए नमूने या परिणाम का उपयोग करने के लिए दंड को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । खंड यह उपबंध करता है कि जो कोई जानबूझकर बिना प्राधिकार के किसी डीएनए नमूने या किसी डीएनए विश्लेषण के परिणाम का उपयोग करता है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 48 डीएनए डाटा बैंक में सूचना तक विधि विरुद्ध पहुंच के लिए दंड को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । खंड यह उपबंध करता है कि जो कोई इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार अन्यथा डीएनए डाटा बैंक में भंडारित सूचना तक पहुंच रखता है, वह कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 49 जैविक साक्ष्य को नष्ट करना, परिवर्तित करना, संदूषित करना या उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए दंड को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । खंड यह उपबंध करता है कि जो कोई जानबूझकर और साशय ऐसे जैविक साक्ष्य को नष्ट करता है, परिवर्तित करता है, संदूषित करता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है जो डीएनए परीक्षण के अध्यधीन होने से उस साक्ष्य को रोकने के या न्यायिक कार्यवाही में उस साक्ष्य के पेश किए जाने या उपयोग को रोकने के आशय से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन परिरक्षित की जानी अपेक्षित है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से भी जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 50 ऐसे उल्लंघन के लिए दंड को विनिर्दिष्ट करने के लिए है जब कोई विनिर्दिष्ट दंड उपबंधित नहीं है । खंड यह उपबंध करता है कि जो कोई इस विधेयक या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करता है जिसके लिए विधेयक में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से भी जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।

विधेयक का खंड 51 कंपनियों या संस्थाओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंड को विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 52 यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड, राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डाटा बैंकों के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारी, जब वे इस विधेयक के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनके

द्वारा कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोकसेवक समझे जाएंगे ।

विधेयक का खंड 53 केन्द्रीय सरकार या बोर्ड के किसी अधिकारी या बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 54 बोर्ड को इसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में अधिक्रांत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 55 केन्द्रीय सरकार को निदेश जारी करने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 56 केन्द्रीय सरकार को अनुसूची का संशोधन करने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 57 यह उपबंध करने के लिए है कि किसी न्यायालय को किसी ऐसे विषय, जिसे बोर्ड इस विधेयक के द्वारा या उसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है, के संबंध में कोई वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 58 केन्द्रीय सरकार को इसमें प्रगणित विषयों पर नियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 59 यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् विधेयक के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए इस विधेयक और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

विधेयक का खंड 60 यह उपबंध करने के लिए है कि विधेयक के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

विधेयक का खंड 61 केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उन कठिनाइयों को अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर दूर करने हेतु सशक्त करने के लिए है जो विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न हों । खंड प्रत्येक ऐसे आदेश को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने की और अपेक्षा करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3, डीएनए विनियामक बोर्ड की, प्रस्तावित विधान के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और उसे सौंपे गए कृत्यों के पालन के लिए स्थापना का उपबंध करता है ।

2. विधेयक का खंड 25, एक राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंकों की स्थापना का उपबंध करता है ।

3. विधेयक का खंड 40, डीएनए विनियामक बोर्ड निधि नामक एक निधि के गठन का उपबंध करता है, जिसमें बोर्ड को दिए गए अनुदान और ऋण, बोर्ड द्वारा प्राप्त समस्त राशि, जिसके अंतर्गत फीस या प्रभार या ऐसे अन्य स्रोत से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए, संदान और निधि की रकम के निवेश से हुई कोई भी आय जमा किए जाएंगे ।

4. ऐसा अनुमान है कि गैर आवर्ती पूंजी व्यय के रूप में लगभग बीस करोड़ रुपए का व्यय होगा तथा प्रस्तावित विधान के अधीन परिकल्पित क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए पांच करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय और होगा ।

5. विधेयक को यदि अधिनियमित और प्रवर्तित किया जाता है तो भारत की संचित निधि से कोई अन्य आतर्वी या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 58 केंद्रीय सरकार को उपखंड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में हैं- (क) अध्यक्ष और अन्य पदेन सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उपाध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्य के वेतन और भत्ते ; (ख) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें ; (ग) वह रीति, जिसमें बोर्ड देश के भीतर विभिन्न अन्वेषण अभिकरणों के बीच दांडिक अन्वेषण में और डीएनए परीक्षण करने वाले किसी विदेशी राज्य, अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्था की सहायता और उसके साथ सहयोग करेगा ; (घ) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन की रीति और समिति में होने वाले व्यक्ति ; (ङ.) राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक के निदेशक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत नियुक्ति की रीति भी है ; और (च) बोर्ड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप ।

2. विधेयक का खंड 59 बोर्ड को केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है । वे विषय, जिनकी बाबत बोर्ड विनियम बना सकेगा, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं- (क) बोर्ड की बैठक का समय और स्थान तथा उसकी बैठक में कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया ; (ख) वह प्ररूप, फीस और रीति, जिनमें किसी डीएनए प्रयोगशाला द्वारा प्रत्यायन के लिए आवेदन किया जाएगा ; (ग) आन-साइट निर्धारण अपेक्षाएं, मानक और ऐसी अन्य अपेक्षाएं, जिसका डीएनए प्रयोगशाला द्वारा अनुपालन किया जाना है ; (घ) किसी डीएनए प्रयोगशाला द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली बाध्यताएं ; (ङ.) किसी डीएनए प्रयोगशाला के प्रभारी व्यक्ति तथा डीएनए प्रयोगशाला के तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों के संबंध में शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव और अन्य पात्रता मानदंड ; (च) डीएनए प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाने वाले उपाय ; (छ) वह रूप विधान, जिसमें राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक, क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंकों से डीएनए प्राप्त करेगा और डीएनए प्रोफाइलों को भंडारित करेगा ; (ज) वह रीति, जिसमें किसी संदेहास्पद या किसी विचारणाधीन या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो न तो अपराधी है, न ही संदेहास्पद है, डीएनए प्रोफाइल को नष्ट कर दिया जाएगा ; (झ) सूचना तक पहुंच के निबंधन और शर्तें ; और (ञ) वह रीति, जिसमें अपराध स्थल सूचकांक में सूचना की पहुंच को निर्बंधित किया जाएगा ।

3. विधेयक का खंड 60 यह अपेक्षा करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

4. वे विषय, जिनकी बाबत नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस प्रकार उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—1058LS(CRC)—1-7-2019.